आर.सी. कथूरिया, जे के समक्ष

हरियाणा राज्य-अभियोजक

बनाम

रेवा सिंह-प्रतिवादी/अभियुक्त

2001 की हत्या संदर्भ संख्या 3 और 2001 की आपराधिक अपील संख्या 316/डीबी

11 अक्टूबर 2002

भारतीय दंड संहिता, 1860-एस.एस. 201, 302 और 376 - एक पिता पर अपनी ही 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप - ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई - पुष्टि के लिए हत्या का संदर्भ - उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद गवाहों द्वारा दिए गए विवरण की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता का सम्मान और चिकित्सा साक्ष्य की सराहना-तीसरे न्यायाधीश का संदर्भ-केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन मामला-अभियोजन पक्ष के साक्ष्य कानून की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे-किसी भी आरोपी को कानूनी साक्ष्य के बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता- अभियोजन किसी भी उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा - ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी की अपील स्वीकार की गई।

माना गया कि अपराध का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने के कारण अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है। तथाकथित अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति आरोपी द्वारा

सरपंच राज सिंह और बसंत लाल के समक्ष की गई है, जो आरोपी पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए जांच अधिकारी के हेरफेर और निर्माण का परिणाम है। परिस्थितियाँ इस बात की गारंटी देती हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, यह माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त ने पूर्ण इनकार का रुख अपनाया था, लेकिन तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य उसके द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए पहले संस्करण को खारिज करने में सक्षम नहीं है। पीएफ ने जांच अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। अन्यथा भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त को अपराध से जोड़ने में बुरी तरह विफल रहे हैं। अभियोजन पक्ष आवेदक-अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने में सक्षम नहीं है

हरियाणा राज्य बनाम रीवा सिंह (आर.सी. कथूरिया, जे.)

किसी भी उचित संदेह से परे. तदनुसार, मैं अपील की अनुमति देता हूं और ट्रायल जज द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द करता हूं और उसे बरी करने का आदेश देता हूं।

संजीव श्योकंद, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा राज्य के लिए।

सुश्री अंजू अरोड़ा, रीवा सिंह के लिए न्याय मित्र, अभियुक्त-दोषी।

न्यायमूर्ति आर.सी. कथूरिया,

(1) रीवा सिंह, अपीलकर्ता-अभियुक्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक की अदालत द्वारा दिनांक 19 मई, 2001/22 मई, 2001 के फैसले के अनुसार दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई: -

धारा 376 आई.पी.सी.: आजीवन कठोर कारावास और रु. का जुर्माना भी देना होगा। 2,000 रुपये और ऐसा न करने पर एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

धारा 302 आई.पी.सी.: मौत की सज़ा।

धारा 201 आई.पी.सी.: पांच साल के लिए कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 1,000 रुपये और जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

(2) कारावास की सभी मूल सजाएं एक साथ चलेंगी।

(3) उक्त फैसले से व्यथित होकर, रीवा सिंह ने 2001 की आपराधिक अपील संख्या 316-डीबी दायर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366(1) के तहत दी गई मौत की सजा की पुष्टि की मांग की। (इसके बाद कोड के रूप में संदर्भित) जिसे इस न्यायालय में 2001 की हत्या संदर्भ संख्या 3 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

(4) उपरोक्त हत्या संदर्भ और आपराधिक अपील माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएल आनंद और माननीय श्री न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आई।

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एल. आनंद ने 26 जुलाई, 2002 के फैसले के अनुसार दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया है और अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है और इस प्रकार उपरोक्त हत्या के संदर्भ को खारिज कर दिया है। माननीय श्री न्यायमूर्ति हेमंत गुत्पा ने 26 जुलाई, 2002 के अलग फैसले के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है और उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है, जिसका अर्थ है कि हत्या के संदर्भ की पुष्टि की गई है। डिवीजन बेंच का गठन करने वाले माननीय न्यायाधीशों के बीच मतभेद होने के कारण मामला इस बेंच के पास चला गया है

(5) अपीलकर्ता-अभियुक्त रीवा सिंह द्वारा सब-इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, सदर, रोहतक को की गई लिखित शिकायत के आधार पर आपराधिक कानून लागू किया गया था, जो इस संबंध में गांव सुंदरपुर के बस स्टैंड पर मौजूद थे। गश्त के साथ. वह गांव टिटौली का रहने वाला है। भारतीय सेना में कार्यरत होने के कारण वह कारगिल में तैनात थे। वह छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उनके तीन बच्चे थे जिनमें से उनकी बड़ी बेटी पूजा छह साल दो महीने की थी, उसके बाद बेटा पांच साल का था और सबसे छोटी बेटी तीन साल की थी। 19 अप्रैल 2000 को, उनकी पत्नी संतोष अपने बेटे के साथ, अपने पिता की पहली मासिक मृत्यु के सिलसिले में, अपनी दो बेटियों को उनके पास छोड़कर, अपने मायके चली गई थीं। 19 अप्रैल, 2000 को रात्रि लगभग 9 बजे, वह पूजा से यह पूछने के लिए कि क्या वह पानी पीना चाहती है, अपने घर के प्रांगण में गया जहाँ उसकी बेटियाँ पूजा और गुड़िया सो रही थीं और इस कारण खेस को उठा लिया। खाट. उसने देखा कि पूजा वहां नहीं थी. फिर उसने गांव में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बीच उसकी तलाश की, लेकिन उन्होंने उसके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपने भतीजे बिजेंदर पुत्र रवि दत्त की मदद से उसकी तलाश जारी रखी। इसके बाद उनके रिश्तेदार भी उनकी बेटी की तलाश में उनके साथ शामिल हो गए लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चल सका। दूसरे दिन सुबह वह करतार सिंह के घर के सामने सड़क किनारे स्थित गड्ढों के पास गया। वहां उन्हें अपनी बेटी पूजा का शव पड़ा हुआ मिला. उसका जंफर फटा हुआ मिला। उस समय उसके शरीर पर सलवार नहीं थी, उसने देखा कि उसके गुप्तांग से खून निकल रहा है। उसकी

गर्दन पर चोट के निशान थे। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस की बेटी पूजा के साथ दुष्कर्म किया है और फिर हत्या कर दी है उसकी। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। अपने भतीजे बिजेंद्र और अन्य ग्रामीणों को रखवाली के लिए छोड़ दिया शव लेकर वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने चला गया था। उनकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह (पीडब्लू-16) से हुई। इसके बाद सुबह आठ बजे सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने अपना समर्थन पूर्व बनाया। पीटी/1 ने उन्हें की गई शिकायत पर अपने हस्ताक्षरों के तहत पुलिस स्टेशन, सदर, रोहतक को प्रेषित किया, जिसके आधार पर धारा 302, 376 आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पूर्व। पीटी/2 को सुबह 8.50 बजे पुलिस स्टेशन, सरदार, रोहतक में एएसआई सत्य राम द्वारा दर्ज किया गया था। कांस्टेबल रघुनंदन (पीडब्लू-3) को एएसआई सत्य राम द्वारा इलगा मजिस्ट्रेट और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की विशेष रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। 20 अप्रैल, 2002 और उसी दिन सुबह 11.15 बजे इसे इलगा मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया।

(6) सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ आरोपी रेवा सिंह के साथ ग्राम टिटोली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्हें करतार सिंह के घर के पास स्थित गड्ढों में पूजा का शव मिला। उन्होंने डॉग स्क्वायड और फोटोग्राफर को मौके पर बुलाया। नरेश (पीडब्लू-11) ने मृतक की तस्वीरों सहित शव की बरामदगी के स्थान की तस्वीरें लीं। डॉग स्क्वायड से पीड़ित की सुंघाई कराई गई और उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद श्वान दस्ता करतार सिंह के घेर के आसपास चला गया और गैर के दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर चला गया। वहां पूजा की सफेद धागे से बुनी हुई किनारी वाली चुन्नी और कढ़ाईदार डिजाइन वाली सलवार पड़ी हुई थी, जिसकी पहचान रीवा सिंह ने अपनी पूजा के रूप में की। इन्हें सील करने के बाद इन्हें कब्जे में ले लिया गया, - रिकवरी मेमो एक्स. पीए को सरपंच राज सिंह (पीडब्लू-2) और बसंत लाल (पीडब्लू-8) द्वारा प्रमाणित किया गया। जांच अधिकारी ने उस स्थान का कच्चा प्लान (एक्स.पी.यू.) तैयार किया, जहां से पूजा का शव कब्जे में लिया गया था। फिर उन्होंने रीवा सिंह और बसंत लाल की उपस्थिति में जांच रिपोर्ट (एक्स.पीओ) तैयार की, जिनके बयान जांच कार्यवाही में दर्ज किए गए थे। पूछताछ के कागजात के साथ पूजा का शव पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजने के लिए कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह (पीडब्लू -5) को सौंप दिया गया। रीवा सिंह कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के साथ शव लेकर गए।

(7) डॉ. विमल शर्मा (पीडब्लू-14) और डॉ. कांता गोयल, जो थे मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने पूजा के शव का पोस्टमार्टम किया 20 अप्रैल 2000 को दोपहर 1.05 बजे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मौत का कारण गला घोंटना है और शरीर पर जननांगों के ऊपर जो चोटें देखी गईं, वे ताज़ा थीं और बलात्कार से मेल खाती थीं। चोटें प्रकृति में मृत्यु-पूर्व की पाई गईं और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। पोस्टमॉर्टम जांच के बाद, मृतक का सामान, सिला हुआ शरीर, 20 अप्रैल, 2000 की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि, सात संख्या में पुलिस कागजात, एक से तीन मुहरें जिनमें वेजाइनल स्वाब और श्रवण की स्मीयर स्लाइड्स एक सीलबंद पैकेट था। जिसमें मृतिका के कपड़े, उसके कानों की बालियां, मृतिका के पेरिनम से लिया गया सूखा खून और तीन सैंपल सील शामिल थे, चिकित्सा अधिकारी ने कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को सौंप दिए।

(8) इसी बीच सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह सामान्य अस्पताल, रोहतक पहुंचे। कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा उन्हें सौंपे गए सामान और अन्य कागजात पेश किए और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, - मेमो एक्स के माध्यम से। पीडी को एएसआई ओम प्रकाश और कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह द्वारा सत्यापित किया गया। शाम करीब चार बजे पूजा के शव का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभियुक्त की उपस्थिति में. इसके बाद सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह गांव टिटौली में शव बरामदगी स्थल पर आए और रणधीर सिंह, कृष्ण कुमार और सिरी भगवान के बयान दर्ज किए। हुआ यूं कि 19 अप्रैल 2000 की रात 9 बजे. या रात 9.30 बजे रणधीर सिंह (पीडब्लू-1) ने रेवा सिंह को अपनी बेटी पूजा के साथ सड़क पर देखा था और उससे पूछताछ की थी कि वह रात के समय कहाँ जा रहा था, जिस पर उसे आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी पूजा पीड़ित थी उसे बुखार था और इसी कारण वह उसे रोहतक के अस्पताल में ले जा रहा था। 19 अप्रैल, 2000 को लगभग रात 9.00 या 9.30 बजे. सिरी भगवान (पीडब्लू-9) और कृष्ण अपने खेतों से लौट रहे थे और जब वे रीवा सिंह के घर के पास से गुजरे, तो उन्होंने आरोपी की बेटी की चीखें सुनीं। उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। उन्होंने रेवा सिंह से पूछा कि उनकी बेटी क्यों रो रही है, जिस पर रेवा सिंह ने उन्हें बताया कि पूजा रो रही थी क्योंकि वह बुखार से पीड़ित थी और उसकी माँ अपने मायके गई हुई थी। यह उत्तर सुनकर वे अपने घरों की ओर आगे बढ़ गये। अगले दिन उपरोक्त नामित लोगों को पता चला कि पूजा का शव सड़क किनारे पड़ा

मिला है और उसकी हत्या कर दी गयी है. उपरोक्त गवाहों के बयान का नेतृत्व किया आयोग में रीवा सिंह की संलिप्तता को लेकर संदेह अपराध का।

(9) इसके तुरंत बाद सब-इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने गांव में रेवा सिंह की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। जब वह टिटौली मोड़ पर मौजूद थे, तभी राज सिंह, सरपंच और बसंत लाल वहां आए और रीवा सिंह को उनके सामने पेश किया। उप-निरीक्षक ईश्वर सिंह को उनके द्वारा सूचित किया गया कि 20 अप्रैल, 2000 को जब राज सिंह बसंत लाल के साथ अपनी बैठक में मौजूद थे, रीवा सिंह वहां आए और उनके सामने स्वीकार किया कि पिछली रात लगभग 9 बजे। अपनी पत्नी, जो अपने माता-पिता के घर गई हुई थी, की अनुपस्थिति में शराब के नशे में उसने अपनी बेटी पूजा को, जब वह खाट पर सो रही थी, उठा लिया और आंगन की जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद उसने उसकी सलवार उतार दी और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह रोने लगी। फिर उसने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था. इसी दौरान उसके पड़ोसी कृष्ण और सिरी भगवान उसके घर के बगल से गुजरे। जैसे ही दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ, उन्होंने उससे पूछा कि उसकी बेटी क्यों रो रही है, जिस पर उसने उन्हें बताया कि वह बुखार से पीड़ित थी और उसकी माँ अपने माता-पिता के घर गई थी। फिर वे लोग वहां से चले गए और इस अवस्था में उसके मन में यह विचार आया कि जब उसकी पत्नी अगले दिन वापस आएगी, तो उसकी बेटी उसे सब कुछ बता देगी जिससे उसकी बदनामी होगी और उसके बाद उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को फेंक दिया। सड़क किनारे गड्ढे में. उसने उनके सामने यह भी कहा कि उसने करतार सिंह के लिए उसकी चुन्नी और सलवार को घर में फेंक दिया था और अपनी बेटी के लापता होने के संबंध में एक झूठी कहानी रची थी। उसने उनसे अनुरोध किया कि उसे पुलिस को सौंप दिया जाए क्योंकि पुलिस अधिकारी उनके परिचित थे। उसके बाद. उप-निरीक्षक ईश्वर सिंह ने आरोपी से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया, जिसमें उसने सरपंच राज सिंह और बसंत लाल के सामने विस्तृत तथ्य बताए कि उसने किस तरह से अपराध किया है। इस बयान पर रीवा सिंह, राज सिंह और बसंत लाल ने हस्ताक्षर किये।

(10) आरोपी रीवा सिंह को हिरासत में ले लिया गया और उसकी मेडिकल जांच के लिए जनरल अस्पताल, रोहतक भेजा गया, इस अनुरोध के साथ कि क्या वह संभोग करने में सक्षम है और क्या उसे कोई चोट या सूजन आदि हुई है। जननांग और यह भी कि संभोग के बाद वीर्य निकला

था या नहीं। डॉ. डी.के. पसरीजा, चिकित्सा अधिकारी, के रूप में तैनात थे चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, रोहतक ने आरोपी की जांच की रीवा सिंह ने 20 अप्रैल, 2000 को अपनी रिपोर्ट Ex.PH द्वारा यह राय व्यक्त इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था जो यह दर्शाता हो कि वह संभोग क्रिया करने में असमर्थ है। पूर्व में किये गये सम्भोग के वास्तविक कृत्य के संबंध में उन्होंने कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही राय दी जा सकेगी. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उन्होंने आगे कहा कि आरोपी द्वारा हाल के दिनों में यौन संबंध बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(11) 21 अप्रैल, 2000 को, सब-इंस्पेक्टर रीवा सिंह को चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, रोहतक के पास ले गए और आवेदन प्रस्तुत किया। पीक्यू में डीएनए विश्लेषण के लिए अनुरोध शामिल है। डॉ. विमल शर्मा ने 5 सी.सी. रक्त और उसे कांच की शीशी में सील करने के बाद उसे सौंप दिया और आवेदन पर अपना समर्थन पूर्व पीआर बना दिया।

(12) 31 मई 2000 को, कांस्टेबल शिखर कुमार, जो पुलिस अधीक्षक, रोहतक के कार्यालय में ड्राफ्ट्समैन के रूप में तैनात थे, ने ग्राम टिटौली में घटना स्थल का दौरा किया था और बसंत लाल के कहने पर साइट योजना तैयार की थी। शव बरामदगी का स्थान चुन्नी व सलवार जो एक्स.पी.सी. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एक्स. पीएफ और पीएफ/1), मधुबन, करनाल की रिपोर्ट प्राप्त होने और उप-निरीक्षक जग पाल सिंह (पीडब्लू- 6) द्वारा जांच पूरी होने पर, आरोपी को धारा 376 और 302 आईपीसी के तहत मुकदमे के लिए भेजा गया था।

(13) इन आरोपों पर धारा 302, 376 और 2011.P.C. के तहत आरोप लगाए गए हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जिस पर उसने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे का दावा किया।

(14) अभियोजन पक्ष ने गवाहों, रणधीर सिंह (पीडब्लू-1), राज सिंह (पीडब्लू-2), कांस्टेबल रघुनंदन (पीडब्लू-3), शिखर कुमार (पीडब्लू-4), कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह (पीडब्लू-5) की मदद हासिल की।).

एस.आई. जग पाल सिंह (पीडब्लू-6), एएसआई ओम प्रकाश (पीडब्लू-7), बसंत लाल (पीडब्लू-8), सिरी भगवान (पीडब्लू-9), डॉ. डी.के. पसरीजा (पीडब्लू-10), नरेश (पीडब्लू-11), राजबीर सिंह (पीडब्लू-12), एच.सी. अपराध के साथ आरोपी का संबंध स्थापित करने के लिए सतपाल (पीडब्लू-13), डॉ. विमल शर्मा (पीडब्लू-14), सी. जग्गा सिंह (पीडब्लू-15), और एस.आई. ईश्वर सिंह (पीडब्लू-16)। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट पेश की। पीएफ और पीएफ/1.

(15) जब आरोपी से संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध त्याग दिया और कथित अपराध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और खुद को गलत फंसाए जाने की दलील दी।

(16) उन्होंने डॉ. एम.के. की भी जांच की। दिश्नोई (डीडब्ल्यू-1) अपने बचाव में, जो ड्यूटी रोस्टर (एक्स. डी.-1), दैनिक उपस्थिति रजिस्टर (एक्स. डी.2) और डिस्पेंसरी में मरीजों का दैनिक पंजीकरण (एक्स. डी.2) सहित बुलाए गए रिकॉर्ड के आधार पर करता है। डी.3) ने गवाही दी कि 20 अप्रैल, 2000 को डॉ. डी.के. पसरीजा ने सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैजुअल्टी ड्यूटी में भाग लिया था।

(17) अभियोजन पक्ष के साथ-साथ अभियुक्तों की ओर से दिए गए सबूतों और उनके द्वारा उठाए गए संबंधित स्टैंडों पर विचार करने पर ट्रायल जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बलात्कार के संबंध में कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं था। पूजा और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया. परिस्थितिजन्य और अन्य साक्ष्यों के आधार पर, जैसा कि कृष्ण, सिरी भगवान और रणधीर सिंह के बयानों में खुलासा किया गया है; अपीलकर्ता द्वारा सरपंच राज सिंह (पीडब्लू-2) और बसंत लाल (पीडब्लू. 8) के समक्ष किया गया अतिरिक्त न्यायिक बयान, जांच अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए गए बयान (एक्स. पीबी) के साथ, और अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफलता फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, करनाल द्वारा विश्लेषण करने पर उसकी शर्ट पर पाए गए वीर्य के दाग की उपस्थिति से यह निष्कर्ष निकला कि रेवा सिंह ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया था और अपनी हवस पूरी करने के बाद उसे मार डाला और उसके बाद खुद

को बचाने के लिए कानूनी सजा देते हुए शव को सड़क किनारे स्थित पिस्तों में फेंक दिया और उसकी चुन्नी व सलवार को चारदीवारी से घिरे करतार सिंह के घेर में फेंक दिया। अभियुक्तों से परीक्षण के समय में विसंगति के संबंध में बचाव पक्ष के डॉ. डी.के. दोपहर 1.35 बजे पसरीजा। 20 अप्रैल, 2000 को और अभियोजन पक्ष के संस्करण, कि आरोपी को 20 अप्रैल, 2000 की शाम को गिरफ्तार किया गया था, को अप्रासंगिक करार दिया गया क्योंकि आरोपी ने भी बचाव में कहा था कि उसे पूजा के दाह संस्कार से पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन विचारों पर, ट्रायल जज ने अभियोजन पक्ष की बात को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर देखा गया है। इन परिस्थितियों में, अपील और संदर्भ पर इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया।

(18) मैंने एमिकस क्यूरी अंजू अरोड़ा को प्रतिनिधित्व करते हुए सुना अपीलकर्ता-अभियुक्त और राज्य वकील संजीव शेओकंद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य की लंबाई.

(19) पर दिए गए साक्ष्यों पर चर्चा और मूल्यांकन करने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा और अभियुक्त की ओर से फाइल की गई है मतभेद और सहमति के बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक डिवीजन बेंच का गठन करने वाले माननीय न्यायाधीशों के अलग-अलग निर्णयों में।

(20) अपीलकर्ता-अभियुक्त को बरी करने का आदेश देने और हत्या के संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए आर.एल. आनंद, जे. के पास जो कारण प्रबल थे, वे यह हैं कि हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार बलात्कार रात 8.00 बजे के बीच किया गया था। और रात्रि 9.00 बजे 19 अप्रैल, 2000 को आरोपी के घर पर फिर भी जांच अधिकारी कभी उसके घर नहीं गए और फर्श पर पड़े खून के किसी निशान का पता लगाने और घर से शराब की बोतल बरामद करने के लिए प्राथमिक देखभाल नहीं की गई। अपने घर के बगल से गुजरते समय पूजा की रोने की आवाज को पहचानने का दावा करने वाले सिरी भगवान की गवाही स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि वह रोने का कारण जानने के लिए घर के अंदर नहीं गए थे। इसके अलावा, उसे आरोपी के घर के बगल से गुजरने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि उसका घर 200 या 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने खेतों से लौटने का संस्करण पेश किया है जो उनके पुलिस बयान में सुधार है। उसके पास पूजा को उसकी

आवाज़ से जानने का कोई अवसर नहीं था। बताए गए समय पर रणधीर सिंह की उपस्थिति और आरोपी से यह पूछताछ करना कि वह अपनी बेटी को मौका मिलने पर कहां ले जा रहा था, स्वीकार्यता के लायक नहीं है। तथाकथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि आरोपी रीवा सिंह ने 20 अप्रैल, 2000 को दोपहर 12.05/1.05 बजे पोस्टमार्टम के समय जनरल अस्पताल, रोहतक में अपनी बेटी के शव की पहचान की थी। आगे डॉ. डी.के. दोपहर 1.35 बजे पसरीजा ने आरोपियों का रोहतक के अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। 20 अप्रैल, 2000 को हिरासत में रहते हुए। जबकि उन्हें दोपहर तीन बजे पूजा के दाह संस्कार के समय मौजूद बताया गया था। या शाम 4.00 बजे जैसा कि राज सिंह, सरपंच ने बताया। आरोपी द्वारा बसंत लाल की बैठक में सरपंच राज सिंह के समक्ष किया गया न्यायेतर कबूलनामा एक मनगढ़ंत साक्ष्य है। लिखित स्वीकारोक्ति पूर्व. शाम पांच बजे के बाद जांच अधिकारी द्वारा पीबी दर्ज की गई। 20 अप्रैल, 2000 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों से प्रभावित है और इस कारण से इस पर विचार नहीं किया जा सका।

(21) हेमन्त गुप्ता, जे. ने ट्रायल जज द्वारा दिए गए सजा के आदेश को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि आरोपी द्वारा राज सिंह और बसंत लाल के परिचितों के समक्ष आरोपी द्वारा की गई न्यायेतर स्वीकारोक्ति भरोसे के योग्य थी क्योंकि ये दोनों गवाहों को उसके विरुद्ध गवाही देने में कोई द्वेष नहीं था और इसलिए भी कि दोनों ये गवाह उसी इलाके के स्वतंत्र गवाह हैं जहां आरोपी रहता था। अभियुक्त की चिकित्सीय जांच के समय के विरोधाभासों को न केवल प्रकृति में मामूली माना गया, बल्कि विधिवत व्याख्या की गई कि अभियुक्त द्वारा अपराध करने के अंतिम निष्कर्ष पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अंतिम बार देखे गए रणधीर सिंह का पुष्टिकरण बयान जिरह के दौरान खंडित नहीं हुआ था। केवल इसलिए कि सिरी भगवान उस समय आरोपी की बेटी के रोने का कारण पूछने के लिए आरोपी के घर के अंदर नहीं गए और आरोपी द्वारा दिया गया जवाब गवाहों के अनुसार संतोषजनक था, इसे एक के रूप में लिया जाना चाहिए। इस गवाह की ओर से स्वाभाविक आचरण. जांच अधिकारी की ओर से आरोपी के घर का निरीक्षण करने में चूक को जांच के गुणों पर प्रभाव डालने वाली कोई महत्वपूर्ण चूक नहीं माना गया। जैसा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया है, अभियुक्त की शर्ट पर मानव वीर्य का पाया जाना न्यायेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य की पुष्टि करने वाली कड़ी के रूप में लिया गया था। उसी समय, बयान पूर्व. जांच अधिकारी द्वारा दर्ज की गई आरोपी की पीबी को साक्ष्य में अप्राप्य माना गया।

(22) यह स्पष्ट है कि डिवीजन बेंच का गठन करने वाले दोनों न्यायाधीशों की राय में इस आशय की समानता है कि पूजा के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई, जो तथ्य चिकित्सा साक्ष्य और आरोपी पूर्व के बयान से समर्थित है। . जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया पीबी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत अस्वीकार्य साक्ष्य था। मामले के अन्य पहलुओं के संबंध में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, गवाहों द्वारा दिए गए विवरण की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के साक्ष्य की सराहना के संबंध में उनके बीच मतभेद है।

(23) ऊपर बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को स्कैन करने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य और अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में अपनाए गए रुख की डिवीजन बेंच के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सूक्ष्मता से और स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए। **सज्जन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में नीचे,** [1](1)।

(24) निःसंदेह, यह एक ऐसा मामला है जहां बलात्कार और हत्या को एक ही रूपांतरण का अभिन्न अंग बताया गया है। वहाँ 190

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है और न ही अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा इस पर विवाद किया गया था कि मृतक पूजा की मानव वधिक मृत्यु हुई थी। बोर्ड के सदस्य डॉ. विमल शर्मा और डॉ. कांता गोयल ने 20 अप्रैल 2000 को दोपहर 12.05/1.05 बजे आरोपी रीवा सिंह की लगभग छह वर्षीय बेटी पूजा के शव का पोस्टमार्टम किया था। और राय दी थी,-वीडियो रिपोर्ट पूर्व। पीएम का कहना है कि मौत गला घोंटने से हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जननांगों पर वर्णित चोटें ताज़ा थीं और बलात्कार से मेल खाती थीं। ये चोटें प्रकृति में मृत्यु-पूर्व की थीं और सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। पूजा के शरीर पर जो चोटें पाई गईं और डॉ. विमल शर्मा (पीडब्लू-14) ने उनका वर्णन किया, वे इस प्रकार हैं-

[1] 1998 (4) RCR (Crl.) 185

"चोटें":

1. गर्दन के बाईं ओर, निचले जबड़े के बाएं कोण से 3 सेमी नीचे, 3 सेमी x 2.5 सेमी आकार का एक लाल रंग का घाव था। विच्छेदन पर: अंतर्निहित गर्दन की संरचना को इकोमोज़ किया गया था।

2. 1 सेमी X 0.5 सेमी से लेकर 2 सेमी X 1 सेमी तक के आकार के कई मूली संलयन थे, जो अर्धचंद्राकार आकार के थे, जो 5 X 4 सेमी के क्षेत्र में दाएं मस्तूल के नीचे गर्दन के दाईं ओर स्थित थे। ऑन-विच्छेदन: स्वरयंत्र और श्वासनली सहित गर्दन की निचली संरचना को एक्चिमोस किया गया। हाइपोइड हड्डी बरकरार थी. जननांगों को छोड़कर अन्य सभी अंग सामान्य थे - 6 सेमी x 5 सेमी के क्षेत्र में बड़े और छोटे दोनों और योनि नहर पर मौजूद लाल रंग का संलयन मौजूद था। हाइमन 2-3 और 6-7 बजे फट गया था - फाड़ के किनारे लाल, अनियमित और उलझे हुए थे। पेरिनम (योनि नलिका तक गहराई तक) तक फैला हुआ भजनीय आंसू। ऑन-विच्छेदन: योनि नलिका और जननांग संरचना को इकोयोमाइज किया गया था। भजन आरंभ में मध्यमा उंगली को आसानी से स्वीकार किया गया। बाहरी जननांग के आसपास और ऊपर खून का थक्का जमा हुआ था।

हमारी राय में मृत्यु का कारण गला घोंटना और जननांगों पर ऊपर वर्णित चोटें थीं जो ताज़ा थीं और बलात्कार के अनुरूप थीं। चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं प्रकृति का सामान्य कारण,"

(25) मेडिकल बोर्ड के सदस्यों द्वारा किए गए शव परीक्षण के सामान्य अवलोकन और अन्य परिणाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किए गए थे। डॉ. विमल शर्मा के अनुसार समय. चोटों और मृत्यु के बीच कुछ मिनट का समय था और मृत्यु और पोस्टमार्टम परीक्षा के बीच का समय 6 से 24 घंटे के बीच था। उन्होंने मृतक के निकाले गए पेरिनम के रूप में वर्णित भूरे रंग के पाउडर

की भी पहचान की थी (उदाहरण पी.10), भूरे रंग की कपास झाड़ू की छड़ें (उदा. पी.11) और (उदा. पी.12), दो कांच की शीशियां (उदा. पी. 13 और उदाहरण पी.14), चार मिरोस्कोपिक ग्लास स्लाइड (उदाहरण पी.15 से पूर्व. पी.18) जिसके आधार पर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने राय दी थी कि पूजा के साथ बलात्कार किया गया था क्योंकि योनि के स्वाब पर मानव वीर्य का पता चला था। योनि फोरनिक्स और मृतक के योनि भागों पर संबंधित चोटों से। उन्होंने पूजा (एक्स. पी.एन.), जांच रिपोर्ट (एक्स. पीओ) के शव के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के अनुरोध को भी साबित कर दिया, जो सात पन्नों में चल रही है और हर पन्ने पर उनके नाम के पहले अक्षर हैं। उन्होंने आगे बताया कि 21 अप्रैल 2000 को एस.एच.ओ. सदर, रोहतक ने आरोपी रीवा सिंह के डीएनए विश्लेषण के लिए आवेदन (एक्स. पीक्यू) प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने रेवा सिंह के शरीर से 5 सीसी खून निकालकर एक कांच की शीशी (एक्स. पी.20) में डाल दिया और उसे सील करके पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने अपना समर्थन पूर्व साबित किया। इस संबंध में पी.आर. उन्होंने अपने बयान के दौरान रीवा सिंह के खून वाली कांच की शीशी को भी साबित किया (पूर्व पृष्ठ 20)। साथ ही, उन्होंने स्वीकार किया कि डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन ने विश्लेषण के लिए भेजे गए लेखों का विश्लेषण किया था और रिपोर्ट (एक्स. पीएफ और एक्स. पीएफ/1) सौंपी थी. वह बलात्कार करने और पीड़िता का गला घोंटने के बीच के समय के संबंध में नहीं बता सका, हालांकि वह इस तथ्य के संबंध में निश्चित था कि बलात्कार करने के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई थी।

(26) रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों द्वारा समर्थित डॉ. विमल शर्मा के उपरोक्त बयान में कोई संदेह नहीं है कि पूजा के साथ संभोग किया गया था और उसकी मृत्यु ऊपर बताए गए गला घोंटने और चोटों के कारण हुई थी।

(27) अपीलकर्ता-अभियुक्त के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तावना पेश की है अभियोजन पक्ष का मामला यह कहते हुए उसकी दलीलें थीं मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य और उत्पादित साक्ष्यों पर आधारित है अभियोजन पक्ष द्वारा उसके अंकित मूल्य पर लिया गया आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है कानून का मानना है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहि स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और इस कारण से मामला अभियोजन पूरी तरह से अस्वीकृति का पात्र है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस दलील

का प्रतिवाद किया गया और इसका खंडन किया गया। इसलिए, मैं कानूनी आवश्यकता पर ध्यान दूंगा और इस संबंध में स्थापित सिद्धांतों के आलोक में साक्ष्य का विश्लेषण करूंगा।

(28) जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (**[2]2) मामले में पांच सुनहरे सिद्धांतों पर ध्यान दिया, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले का प्रमाण बनाते हैं। प्रासंगिक टिप्पणियाँ निर्णय के पृष्ठ 302 से 304 पर पैरा संख्या 147 से 150 में दर्ज हैं, जो इस प्रकार हैं-

"उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए मामलों पर चर्चा करने से पहले हम एक आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णय उद्धृत करना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं। हनुमंत बनाम में इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय मध्य प्रदेश राज्य, 1952 एस.सी.आर. 1091। इस मामले का इस न्यायालय द्वारा आज तक बड़ी संख्या में बाद के निर्णयों में समान रूप से पालन और लागू किया गया है, उदाहरण के लिए, तनफेल (उर्फ) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1969) के मामले 3 एससीसी 198 और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1972 एस.सी. 656। हनुमत के मामले (सुप्रा) में महाजन, जे. ने जो कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता है:

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल सुसंगत होने चाहिए अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना। फिर से परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो साबित होने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर हर परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए पूर्ण ताकि निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप होना चाहिए

[2] 1984 CAR 263 (SC)

और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि सभी मानवीय संभावनाओं के तहत यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

इस निर्णय का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि किसी आरोपी के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं। न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है जिसे साबित किया जा सकता है और साबित किया जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य मामले में माना था। वेरस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, (1973) 2 एस.सी.सी. 793, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न ही दोषी ठहराया जा सकता है और हो सकता है और होना चाहिए के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

अगर हम ऐसा कह सकें तो ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले को साबित करने के पंचशील का निर्माण करते हैं।"

(29) इस संबंध में **जोसेफ पुत्र कूवेली पाउलो बनाम केरल राज्य** [3](3) में की गई टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं-

"यह अक्सर कहा जाता है कि हालांकि गवाह झूठ बोल सकते हैं, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलतीं, लेकिन साथ ही यह देखने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए कि दोषी ठहराने वाली परिस्थितियां ऐसी हैं जो केवल अपराध की परिकल्पना को जन्म देती हैं और निर्दोषता की हर संभावना को उचित रूप से बाहर कर देती हैं। अभियुक्त। किसी मामले में साक्ष्य की सराहना के संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है और हमेशा तथ्य की खोज पर पहुंचने से संबंधित एक अभ्यास को विशिष्ट तथ्यों द्वारा आवश्यक या वारंटेड तरीके से किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। मामले में पूरा प्रयास और प्रयास यह पता लगाने के लिए होना चाहिए कि आरोपी द्वारा अपराध कहाँ किया गया था और परिस्थितियाँ अपने आप में एक पूरी श्रृंखला में साबित हो गईं जो कि आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती हैं।"

[3] 2000 SCC (Crl.) 926

(30**) मोलाई और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** [4](4) **हिमाचल प्रदेश बनाम मदन लाल,** [5](5) **गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य** [6](6), **सुभाष चंद बनाम राज्य** [7]में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर भी ध्यान दिया गया है।और **सुदामा पांडे बनाम बिहार राज्य।** [8](8).

(31) परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिस पर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त पर आरोप लगाने के लिए भरोसा जताया था, उसे मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: -

(1) सिरी भगवान (पीडब्लू-9) द्वारा विस्तृत रूप से अभियुक्तों का अपराध-पूर्व आचरण।

(2) रणधीर सिंह (पीडब्लू-1) के बयान में अभियुक्तों के अपराध के बाद के आचरण और अंतिम बार देखे गए सबूतों का विवरण दिया गया है।

(3) करतार सिंह के घर के सामने स्थित गड्ढे से शव की बरामदगी तथा करतार सिंह के घर से 200 गज की दूरी पर स्थित करतार सिंह के घेर से चुन्नी एवं सलवार का शव बरामद होना।

(4) अभियुक्त के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य।

(5) आरोपी द्वारा सरपंच राज सिंह और बसंत लाल, जो आरोपी का करीबी रिश्तेदार है, के समक्ष किया गया न्यायेतर बयान।

---

[4] 2000 SCC (Crl.) 438
[5] 2000 (1) RCR (Crl.) 450
[6] 2001 (1) RCR (Crl.) 122
[7] 2001 (4) RCR (Crl.) 496
[8] 2002 (1) RCR (Crl.) 130

(6) आरोपी द्वारा जांच अधिकारी को दिए गए बयान (उदा. पीबी) में अपराध की स्वीकारोक्ति।

(7) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अभियुक्त की शर्ट पर वीर्य की बरामदगी।

(8) दण्ड संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियुक्त के कथन में अभियुक्त द्वारा ली गई मिथ्या दलील।

(32) अभियोजन का मामला है कि अपराध अभियुक्त के घर में किया गया था। 19 अप्रैल 2000 को रात 8 बजे के बीच आरोपी अपनी दो बेटियों पूजा और गुड़िया के साथ अपने घर में मौजूद था। रात्रि 9.00 बजे तक सिरी भगवान ने पूजा की रोने की आवाज की पहचान कर ली थी, जिसने उसे और उसके भाई कृष्ण को आरोपी के घर की ओर आकर्षित किया था, जब वे अपने खेतों से लौटने के बाद उधर से गुजर रहे थे। सिरी भगवान ने अपने बयान में दावा किया है कि पूजा को वह उसकी आवाज और चेहरे से जानता था। सिरी भगवान के भाई कृष्ण, जिनका घर अभियुक्त के घर के पास स्थित बताया गया है, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। यह स्वीकार किया गया है कि रेवा सिंह के घर का दरवाजा अंदर से बंद था और इसलिए, उसे आरोपी की बेटी का चेहरा देखने का मौका नहीं मिला, जो रो रही थी। इस प्रकार, यह उसका मामला नहीं है कि उसने रोने से पहले पूजा और आरोपी के बीच कोई बातचीत सुनी थी। जहां तक आरोपी की बेटी की रोने की आवाज का सवाल है। यह तीन साल की गुड़िया या पूजा की भी हो सकती है। इसलिए, सिरी भगवान द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि रोने की आवाज केवल पूजा की थी, इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि साक्ष् पूजा की आवाज के समय से उसकी पहचान के बारे में स्वर के साथ सूक्ष्म बदलाव पर निर्भर था, जब सिरी भगवान ने पूजा के रोते हुए चेहरे को शारीरिक रूप से नहीं देखा था। इसलिए सीधे तौर पर रोने की आवाज को पूजा से जोड़ना गले उतरने लायक नहीं है. अनुमानित निष्कर्ष निकालने के बाद कि रेवा सिंह के घर से आ रही चीखें पूजा की थीं, ऐसा लगता है कि उसने आरोपी से पूछा था कि वह क्यों रो रही थी, जिस पर रेवा सिंह ने उसे बताया था कि वह बुखार से पीड़ित थी और उसकी माँ भी रो रही थी। अपने मायके गयी हुई थी. बयान के इस हिस्से से साफ़ पता चलता है कि उन्होंने पूजा की आवाज़ पहचानने की अपनी कठिनाई

को दूर करने की कोशिश की थी और इसी कारण से उन्होंने अपने दिए गए जवाब में आरोपी के लिए पूजा का नाम बताया था। यदि वह वास्तव में पूजा के बारे में चिंतित था, तो उसे आरोपी को दरवाजा खोलने और उससे बात करने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन उसने इस तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और दिए गए उत्तर से खुद को संतुष्ट किया और अपने घर की ओर बढ़ गया। उस वक्त आरोपी के घर के पास उसकी मौजूदगी को किसी अन्य कारण से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उसने आरोपी की बेटी की चीख सुनी हो. रोने और चीखने में स्पष्ट अंतर है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने पूजा की रोने की आवाज को उसके द्वारा किए गए न्यायेतर स्वीकारोक्ति, विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के आधार पर उस चरण से जोड़ने की कोशिश की है जहां आरोपी ने अपने घर के आंगन में उसके साथ बलात्कार किया था। अभियुक्तों द्वारा की गई न्यायिक स्वीकारोक्ति पर बाद के चरण में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष ने उस स्थान की सटीक दूरी को रिकॉर्ड पर नहीं लाया था जहां से सिरी भगवान ने पूजा की रोने की आवाज सुनी थी और आरोपी के आंगन से जहां उसके द्वारा कथित बलात्कार किया गया था। यहां तक कि जांच अधिकारी द्वारा अपराध स्थल का कोई साइट प्लान भी तैयार नहीं किया गया था. इसलिए, यह समझना संभव नहीं है कि क्या सिरी भगवान जैसा कोई राहगीर आरोपी की बेटी की चीखें सुनने की स्थिति में हो सकता है, जबकि प्रकटीकरण बयान में जिस पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा जताया था, वह आरोपी था। बताया जाता है कि जैसे ही पूजा रोने लगी तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया ।

(33) एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति जो रिकॉर्ड पर आई है वह यह है कि सिरी भगवान ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि उनका घर से 200 से 250 मीटर की दूरी पर स्थित है अभियुक्त। यह भी रिकॉर्ड में है कि उनका घर करीब 50 मीटर की दूरी पर है कृष्ण का घर. उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि वह पहुंच चुके हैं 20 अप्रैल 2000 को सुबह 7 बजे वह स्थान जहां पूजा की लाश पड़ी थी. उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि पुलिस उनके पहुंचने के आधे घंटे बाद वहां पहुंची थी. उनके बयान के इस हिस्से से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह 20 अप्रैल, 2000 को जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के लिए उपलब्ध थे, जब वह आरोपी रेवा सिंह द्वारा उनके पास रिपोर्ट दर्ज कराने के तुरंत बाद उस स्थान पर पहुंचे थे, जहां शव पड़ा था। सुबह 8 बजे सुंदरपुर का बस स्टैंड, लेकिन 20 अप्रैल, 2000 को दोपहर के समय डेड हाउस के लिए निकलने के समय तक उप-निरीक्षक ईश्वर सिंह को उनके द्वारा बताए गए संस्करण का खुलासा नहीं किया गया था। इस प्रकार रिकॉर्ड पर लाई गई

परिस्थितियां निष्कर्ष की गारंटी देती हैं उनके द्वारा बताई गई परिस्थितियों के संबंध में उनके बयान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(34) रणधीर सिंह (पीडब्लू-1) की गवाही की बात करें तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि रात 9.00 से 9.30 बजे के बीच आरोपियों से उसकी मुलाकात हुई। 19 अप्रैल, 2000 को जब वह अपना गेहूं बेचकर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर वापस गांव जा रहा था तो उसने आरोपी को अपनी बेटी के साथ गांव टिटौली निवासी अर्जुन के घर के पास देखा और उससे पूछताछ की कि वह कहां जा रहा है। बताया जाता है कि पूछताछ करने पर आरोपी ने उसे बताया कि उसकी बेटी बुखार से पीड़ित है और इसी कारण से वह उसे अस्पताल ले जा रहा था। इसके बाद वह अपने आवास की ओर रवाना हो गए। उनका कहना है कि अगली सुबह उन्हें पता चला कि रेवा सिंह की बेटी की हत्या कर दी गयी है और उसका शव सड़क से सटे बिटोरा और किक्कर के पेड़ों के पास एक गड्ढे में पड़ा है. उनके बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की बेटी का नाम, जो अभियुक्त के साथ उस समय देखी गई थी जब वह उससे मिला था, उसे नहीं पता था। जाहिर है, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया था कि वह पूजा ही थी, जो उस समय आरोपी के साथ थी। अन्यथा भी उसका आचरण अप्राकृतिक प्रतीत होता है क्योंकि यह जानने के बाद भी कि आरोपी की बेटी बीमार है और रात के उस विषम समय में वह पैदल ही अस्पताल जा रहा था, उसने कोई चिंता नहीं दिखाई या आरोपी को कोई मदद देने की कोशिश नहीं की। . इसके बजाय वह ट्रैक्टर चलाता रहा और अपने घर की ओर चला गया। यह ध्यान देने योग्य है कि उनके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट थी जहां आरोपी अपनी बेटी के साथ अर्जुन के गैर के पास उससे मिला था। उसने अपने बयान में यह भी नहीं बताया कि ट्रैक्टर की लाइट जल रही थी और उस रोशनी में वह बेटी को देख पा रहा था उसके साथ आरोपियों की. इस साक्ष्य के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता बताया कि जिस वक्त गवाह पूजा के साथ जा रहा था रीवा सिंह से मुलाकात की थी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने उनके बयान से अनुमान लगाने की कोशिश की थी। उनके बयान में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने यह कहीं नहीं कहा कि वह उस स्थान पर गए थे जहां पूजा का शव पड़ा था, हालांकि उनका दावा है कि अगली सुबह लगभग 5 बजे उन्हें बेटी की हत्या के बारे में पता चला। आरोप है कि जब वह अपने खेत पर जा रहा था. इस परिस्थिति को देखते हुए, रणधीर सिंह के आरोपी के साथ उसकी आकस्मिक मुलाकात के संस्करण को स्वीकार करने के लिए उसके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(35) अन्य साक्ष्यों की बात करें तो जांच अधिकारी ईश्वर सिंह के बयान में आया है कि उन्होंने डॉग स्क्वायड को उस स्थान पर बुलाया था जहां पूजा का शव मिला था. उनके अनुसार डॉग स्क्वायड को पीड़िता के शव की गंध सुंघाई गई और इसके बाद वह पुलिस को करतार सिंह के घेर तक ले गया और फिर अंदर जाकर उस स्थान पर पहुंचा जहां पीड़िता की चुन्नी और सलवार पड़ी हुई थी। करतार सिंह का घर उन गड्ढों के सामने स्थित है जहां से पूजा का शव बरामद हुआ था लेकिन बीच में एक पक्की सड़क अलग हो गई थी। डॉग स्क्वायड ने आरोपी को सूंघा नहीं था, जबकि वह उस समय जांच अधिकारी के साथ मौजूद था। डॉग स्क्वायड पुलिस को आरोपी के घर तक भी नहीं ले गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि करतार सिंह के घर से पूजा की चुन्नी और सलवार की बरामदगी के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा लिखावट तैयार की गई थी, लेकिन इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि डॉग स्क्वायड ने पुलिस को वहां तक पहुंचाया था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति या स्थान की पहचान के लिए डॉग स्क्वाड के संबंध में साक्ष्य में त्रुटि का जोखिम शामिल है। हालाँकि, करतार सिंह के घर से मृतक की चुन्नी और सलवार की बरामदगी ने जांच अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए एक सबूत प्रदान किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में मृतक की चुन्नी और सलवार छूट गईं। करतार सिंह के घाट पर. अपराध में किसी व्यक्ति के शामिल होने की संभावना की जांच के लिए उन्हें करतार सिंह या उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ करनी चाहिए थी क्योंकि उस समय वह जांच के दायरे में थे। जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए साइट प्लान (पूर्व पीयू) में, जिस स्थान से चुन्नी और सलवार बरामद की गई थी, उसे करतार सिंह के घर के रूप में दिखाया गया है और जिस स्थान से शव बरामद किया गया था और जिस स्थान से चुन्नी बरामद हुई थी, उसके बीच का अंतर दिखाया गया है। और सलवार थी बरामद किए गए क्षेत्र को 'ए' और 'सी' अक्षरों द्वारा चिह्नित 100 गज के रूप में दिखाया गया था।

(36) इस स्तर पर, डॉ. डी.के. का वक्तव्य। पसरीजा, चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने 20 अप्रैल, 2000 को दोपहर 1.35 बजे रीवा सिंग की औषधीय-कानूनी जांच की थी। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी गवाही और जांच कार्यालय की गवाही के बीच उस समय का अंतर है जब आरोपी को उसके सामने रोहतक के अस्पताल में पेश किया गया था और यह परिस्थिति समान रूप से बताए गए न्यायेतर बयान की विश्वसनीयता पर असर डालती है। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए किया गया है। डॉ.

पारिजा ने अपने बयान के दौरान कहा है कि आरोपी रीवा सिंह, उम्र 35 वर्ष, से आवेदन (पूर्व पीजी) में निहित पुलिस अनुरोध पर उनके द्वारा जांच की गई थी और निम्नलिखित पाया गया था: -

"रोगी पूर्ण रूप से विकसित पुरुष वयस्क था, उसकी शारीरिक बनावट सामान्य थी, उसके प्राण सामान्य सीमा के भीतर थे, उच्च कार्य सामान्य थे, सभी अंगों में मांसपेशियों की शक्ति ग्रेड वी थी। उसके माध्यमिक यौन लक्षण सामान्य रूप से विकसित थे, जननांग अच्छी तरह से विकसित थे, जघन-बाल मुंडा हुआ था, बाल स्टंप पर 0.1-0.2 थे मौजूद है, ग्लान्स नेक्ड प्रीप्यूस पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, बिना किसी स्मेग्मा के, ग्लान्स नीला-लाल है, बिना किसी चोट के निशान के, लिंग या आसपास के क्षेत्र पर ताजा चोट का कोई निशान नहीं है।"

(37) उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, उन्होंने रिपोर्ट उदाहरण में निहित एक राय प्रस्तुत की। पीएच इस आशय का कि अभियुक्त की संभोग क्रिया करने में असमर्थता का सुझाव देने में कुछ भी असामान्य नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में किए गए संभोग के वास्तविक कार्य के संबंध में राय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, करनाल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। उन्होंने अंगों पर लाल और गहरे बैंगनी-नीले रंग की धारियों वाले शाही नीले रंग के अंडरवियर को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें हल्का सफेद दाग था और उनके द्वारा हस्ताक्षरित और जैव-रासायनिक परीक्षण के लिए पैक किए गए कपड़े में पांच मुहर लगाकर सील कर दिया गया था। तीन मुहरों वाले एक लिफाफे के साथ उसे विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, करनाल भेजने के लिए पुलिस को सौंप दिया। उनकी गवाही के दौरान, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एक्स. पीएफ) की रिपोर्ट उन्हें दिखाई गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा हाल ही में यौन संबंध बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जननांग लिंग पर चोटें छह साल की महिला के साथ संभोग के कारण हो सकती हैं, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोई चोट नहीं लगी।

(38) डॉ. डी.के. के साक्ष्य के आधार पर. पसरीजा ने अपीलकर्ता-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से यह आग्रह करने की मांग की थी कि चूंकि अभियुक्त के जननांग लिंग पर कोई

चोट नहीं देखी गई थी, इसलिए उसकी बेटी के साथ उसके द्वारा किए गए बलात्कार के संबंध में अभियोजन पक्ष का बयान गलत साबित हुआ। यह आलोचना करते हुए उनके द्वारा जिरह में दिए गए बयान में कहा गया है कि कुछ मामलों में यह देखा गया है कि किसी बड़े व्यक्ति के जननांग लिंग पर कोई चोट नहीं पहुंचती है, यहां तक कि जहां उसके द्वारा छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। अवहेलना करना।

(39) अभियोजन पक्ष की ओर से **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद**[9], (9) में की गई टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। इस मामले में फैसले के पैरा 15 में मोदी की पुस्तक "मेडिकल ज्यूरिसप्रुडेंस" के पृष्ठ 509 पर दर्ज राय पर ध्यान दिया गया था कि "यहां तक कि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा भीख मांगने के शिकार बच्चे के मामले में भी यह आवश्यक नहीं है" कि ऐसे मामलों में लिंग पर चोट के निशान हमेशा बने रहने चाहिए।" इस प्रकार, आरोपी के जननांग लिंग पर चोटों की गैर-मौजूदगी यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि वह बलात्कार नहीं कर सकता था। लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा इस परिस्थिति में कोई मदद नहीं मांगी जा सकती है क्योंकि जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा अभियोजन अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा है।

(40) इस मामले में अभियोजन पक्ष का मुख्य प्रतिबंध आरोपी द्वारा 20 अप्रैल, 2000 को सरपंच राज सिंह और बसंत लाल के समक्ष किया गया अतिरिक्त-न्यायिक कबूलनामा है, जिसमें अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है।

(41) इस संबंध में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूतों पर ध्यान देने से पहले न्यायेतर स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता के संबंध में कानूनी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। इसे गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा) में निम्नानुसार देखा गया था-

[9] 2001 (2) RCR (Crl.) 666

"यह कानून की स्थापित स्थिति है कि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि सच्ची और स्वैच्छिक है, तो अदालत द्वारा कथित अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की अंतर्निहित कमजोरी के बावजूद , जब यह दिखाया जाए कि ऐसी स्वीकारोक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने की गई है जिसके पास झूठा बयान देने का कोई कारण नहीं है और जिसे बताया गया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है यह उन परिस्थितियों में बनाया गया है जो कथन का समर्थन करते हैं। राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य, 1954 एससीआर 1098 में पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने फिर से मगहर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1975 एससी 1320 में माना कि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य दिए गए थे। गवाहों पर लगाए गए आरोप को हमेशा दागदार साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे साक्ष्यों की पुष्टि केवल अत्यधिक सावधानी से ही आवश्यक है। यदि अदालत उस गवाह पर विश्वास करती है जिसके सामने स्वीकारोक्ति की गई है और संतुष्ट है कि स्वीकारोक्ति सच थी और स्वेच्छा से की गई थी, तो दोषसिद्धि अकेले ऐसे सबूतों पर स्थापित की जा सकती है। नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1985 एससी 1678 में इस अदालत ने चेतावनी दी थी कि अदालत इस धारणा के साथ आपराधिक मामले की सुनवाई शुरू नहीं कर सकती है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति हमेशा एक कमजोर प्रकार का सबूत है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, कबूलनामे के समय और ऐसे कबूलनामे के पक्ष में बोलने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति को वापस लेना, जो कि आपराधिक मामलों में एक सामान्य घटना है, इस तरह की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करेगा। किशोर चंद बनाम एच.पी. राज्य, एआईआर 1990 एससी 2140 में इस अदालत ने माना कि एक स्पष्ट अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति में उच्च संभावित मूल्य बल होता है क्योंकि यह उस व्यक्ति से निकलता है जिसने अपराध किया है और साक्ष्य में स्वीकार्य है, बशर्ते कि यह संदेह और सुझाव से मुक्त हो। कोई झूठ. हालाँकि, कथित स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने से पहले, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि यह स्वैच्छिक है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत परिकल्पित प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं है या धारा 25 को दरकिनार करने के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में लाया गया था। 26. न्यायालय को यह पता लगाने के लिए आसपास की परिस्थितियों पर गौर करने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह की स्वीकारोक्ति किसी अनुचित या संपार्श्विक विचार या कानून के उल्लंघन से प्रेरित नहीं है जो यह सुझाव देती है कि यह सच नहीं हो सकता है। सभी प्रासंगिक परिस्थितियाँ जैसे कि वह व्यक्ति जिससे संस्वीकृति की गई है, समय

और इसे बनाने की जगह, किन परिस्थितियों में इसे बनाया गया इसकी जांच करनी होगी. इसी आशय का निर्णय बलदेव राज बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1994 (1) आरसीआर (सीआरएल) 42 (पी एंड एच): एआईआर 1991 एससी 37 है। पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य में निर्णय का उल्लेख करने के बाद, एआईआर 1977 एससी 2274 इस न्यायालय ने मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे और अन्य, जेटी 1992 (3) एससी 270 में कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति जो जबरदस्ती, एहसान के वादे या झूठी आशा से प्राप्त नहीं की जाती है और चरित्र में पूर्ण और स्वैच्छिक होती है। बिना पुष्टि के भी दोषसिद्धि का आधार बनाया गया।"

(42) सरपंच राज सिंह (पीडब्लू-2) और बसंत लाल (पीडब्लू-8) ने अपने बयान में कहा था कि पूजा के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद, बसंत लाल राज सिंह के साथ उसकी बैठक में बैठे थे। जब वे घटना के बारे में बात कर रहे थे, तो आरोपी रेवा सिंह घटना के बारे में बात कर रहा था, आरोपी रेवा सिंह वहां आया और उन्हें बताया कि पिछली रात शराब के नशे में उसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था और उसके बाद भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी। घटना के बारे में उसने अपनी मां को बताया। उन्होंने अपने चाचा होने के नाते बसंत लाल और गांव के सरपंच होने के नाते राज सिंह से अनुरोध किया कि उन्हें उन पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया जाए, जो उनके परिचित थे। उसने उनके सामने यह भी कहा कि पुलिस को इस अपराध को अंजाम देने के लिए उस पर संदेह था और वह उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। इसके बाद वे दोनों उसके साथ थाने की ओर चल दिए। 20 अप्रैल 2000 को शाम 5 बजे बस स्टैंड, टिटौली के मोड़ पर उनकी मुलाकात सब-इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह से हुई। और आरोपी को उनके हवाले कर दिया. उनके मुताबिक आरोपी ने सब-इंस्पेक्टर को घटना के बारे में विस्तार से बताया कि 19 अप्रैल, 2000 को अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में उसने शराब पी थी और उसके बाद अपने घर के आंगन में अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था. उन्होंने अपनी बेटी के रोने के बारे में सिरी भगवान और कृष्ण द्वारा की गई पूछताछ और अर्जुन के घर के पास रणधीर सिंह से उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया था, जब वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे थे। जांच अधिकारी के समक्ष आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को पूर्व के रूप में लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया। पीबी और उस लेखन को उनका प्रकटीकरण बयान कहा गया है जिस पर रीवा सिंह और गवाहों, राज सिंह और बसंत लाल का सत्यापन जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था।

(43) जांच अधिकारी की गवाही को राज सिंह और बसंत लाल के बयानों के साथ और रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों के प्रकाश में बड़े पैमाने पर देखा जाना चाहिए। जांच अधिकारी का कहना है कि 20 अप्रैल, 2000 को दोपहर 12 बजे गांव टिटौली में जांच पूरी करने के बाद, वह सामान्य अस्पताल, रोहतक गए और मृतक पूजा के सामान और कांस्टेबल द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य सामान को अपने कब्जे में ले लिया। सुरेंद्र सिंह. उन्होंने दावा किया कि इसके बाद वह टिटौली गांव लौट आए और रणधीर सिंह, कृष्ण और सिरी भगवान से जुड़ गए। उनके बयान दर्ज करने के बाद जांच के दौरान, उनके मन में रीवा सिंह की संलिप्तता के बारे में संदेह पैदा हुआ और फिर उन्होंने आरोपी रीवा सिंह का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद, वह बस स्टैंड, टिटोली पर मौजूद थे जब सरपंच राज सिंह और बसंत लाल ने आरोपी रीवा सिंह को उनके सामने पेश किया। सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के अनुसार, इसी चरण में उन्होंने रीवा सिंह से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे राज सिंह और बसंत लाल के बयान दर्ज किए। उनका आगे का कहना है कि वह आरोपी को रात 9 बजे मेडिकल जांच के लिए जनरल अस्पताल, रोहतक ले गए थे। 20 अप्रैल, 2000 को रात 10.20 बजे तक वहीं रहे। मेडिको-लीगल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पूर्व. रात 11 बजे आरोपी का पीएच और आरोपी का सामान लेकर वह थाने लौट आया।

(44) तथाकथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति आरोपी द्वारा सरपंच राज सिंह और बसंत लाल के समक्ष की गई है, जो आरोपी पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए जांच अधिकारी के हेरफेर और निर्माण का परिणाम है। उपरोक्त निष्कर्ष के कारण इस प्रकार हैं:-

(i) आरोपी रेवा सिंह ने 20 अप्रैल 2000 को सुबह 8 बजे बस स्टैंड, सुंदरपुर पर सब-इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के पास रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर पूजा के शव को हिरासत में लेकर सामान्य अस्पताल, रोहतक भेजा था। कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह जांच अधिकारी के पास रहे। इसके बाद, वह अपनी बेटी के शव के साथ अस्पताल गए और उनकी उपस्थिति तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

में दर्ज की गई है, जहां कहा गया है कि उन्होंने और बसंत लाल ने दोपहर 12.05 बजे शव की पहचान की थी। 20 तारीख को अप्रैल, 2000. जांच अधिकारी ने चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, रोहतक को संबोधित दो आवेदन (पूर्व पीजी) तैयार किए, जिसमें आरोपी रीवा सिंह की चिकित्सा जांच के लिए उनका अनुरोध शामिल था।

(ii) अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण डॉ. डी.के. द्वारा किया गया। दोपहर 1.35 बजे पसरीजा। 20 अप्रैल, 2000 को जनरल अस्पताल में और उस समय जांच अधिकारी उनके साथ थे, जैसा कि रीवा सिंह (पूर्व पीएच) की मेडिको-लीगल रिपोर्ट में दर्ज किया गया था।

(iii) रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ईश्वर सिंह जनरल अस्पताल, रोहतक से गांव टिटौली लौटने के बाद, जहां उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया था, उन्होंने न्यायेतर स्वीकारोक्ति बनाने की योजना बनाई। सरपंच राज सिंह और बसंत लाल की मदद से आरोपी बनाया गया। उनका दावा है कि रणधीर सिंह और सिरी भगवान से पूछताछ के कारण अपीलकर्ता-अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में संदेह पैदा हुआ और फिर उन्होंने उसकी तलाश की, यह रिकॉर्ड से गलत साबित हुआ क्योंकि उनके दाह संस्कार के समय पुलिस के साथ रीवा सिंह की मौजूदगी थी। शाम 4 बजे बेटी 20 अप्रैल, 2000 को सिरी भगवान द्वारा गवाही दी गई है। सिरी भगवान के बयान ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामले की सच्चाई को पूरी तरह से खारिज कर दिया था क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आरोपी को पुलिस ने 20 अप्रैल, 2000 को पूजा के शव के अंतिम संस्कार से पहले ही उनकी उपस्थिति में गिरफ्तार कर लिया था। . अभियोजन पक्ष ने अपने बयान के दौरान जिरह में सिरी भगवान के बयान के इस हिस्से को चुनौती देने की कोशिश भी नहीं की। गवाह राज सिंह ने भी स्वीकार किया था कि पूजा के शव का अंतिम संस्कार दोपहर तीन से चार बजे के बीच किया गया था. 20 अप्रैल, 2000 को और आरोपी उसके दाह संस्कार के समय उपस्थित था।

(iv) राज सिंह और बसंत लाल द्वारा प्रस्तुत संस्करण कि आरोपी पूजा के शव के दाह संस्कार के बाद राज सिंह की बैठक में आया था, पूरी तरह से विफल हो गया और टुकड़ों में बंट जाता है इस साधारण कारण से कि हिरासत में रहते हुए आरोपी की चिकित्सीय-कानूनी जांच डॉ. डी.के.

द्वारा की गई थी। 20 अप्रैल, 2000 को दोपहर 1.35 बजे पसरीजा। सामान्य अस्पताल, रोहतक में रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों से पता चलता है कि पूजा के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके शव को गांव टिटौली ले जाने की अनुमति दी गई थी और इससे पता चलता है कि आरोपी को भी हिरासत में गांव टिटौली ले जाया गया जहां उसने दाह संस्कार किया। दोपहर 3.00 से 4.00 बजे के बीच उनकी बेटी की. इस तथ्य को जांच अधिकारी ने भी दबा दिया था क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा था कि जब वह आरोपी को रात 9 बजे जनरल अस्पताल, रोहतक ले गए थे तो आरोपी की मेडिकल जांच की गई थी। जांच अधिकारी के इस रुख को डॉ. एन.के. ने और खारिज कर दिया है। बिश्नोई (डीडब्ल्यू-1) ने अपने द्वारा लाए गए उपस्थिति रजिस्टर और अन्य संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा था कि डॉ. डी.के. पसरीजा कैजुअल्टी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी पर थे। डॉ. एन.के. के बयान पर हमला करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस संबंध में बिश्नोई. ऐसे में उनके द्वारा रात 9 बजे आरोपी से पूछताछ करने का सवाल है। 20 अप्रैल, 2000 को, जैसा कि जांच अधिकारी ने बताया, कोई सवाल ही नहीं उठता।

(vi) मामले का एक और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जब जांच अधिकारी आरोपी पूर्व का खुलासा बयान दर्ज करने की हद तक गया तो उसने अपनी दृष्टि पूरी तरह से बंद कर ली थी। पंजाब. इस प्रकटीकरण कथन से अपराध से संबंधित कोई तथ्य सामने नहीं आया। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के उल्लंघन में दर्ज किया गया था और इसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

(vii) लिखित स्वीकारोक्ति कथन का वाचन। पीबी न केवल उन कारणों को इंगित करता है कि आरोपी ने अपराध क्यों किया, बल्कि घटना से पहले और बाद में सिरी भगवान और रणधीर सिंह के साथ उसके संबंधों और अन्य विवरणों का ग्राफिक विवरण भी दिया। इसे इस प्रकार नहीं समझा जा सकता स्वेच्छा से संस्वीकृति देने वाले अभियुक्त का स्वाभाविक आचरण।

(45) उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियाँ इस बात की गारंटी देती हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

(46) बहस के दौरान, अपीलकर्ता अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को फंसाने के एकमात्र उद्देश्य से जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच की पक्षपातपूर्ण प्रकृति का स्पष्ट संदर्भ दिया था, इस रिकॉर्ड में निम्नानुसार हैं: -

(i) दर्ज रिकॉर्ड में आरोपी का यह लगातार रुख रहा है कि जब उसने अपनी बेटी को अपने घर में उस खाट से गायब पाया, जिस पर वह सोई थी, तो उसने बिजेंद्र और अन्य रिश्तेदारों की मदद से उसकी तलाश की। 19 अप्रैल, 2000 की रात, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर भी जांच अधिकारी ने बिजेंदर या उसके किसी भी रिश्तेदार से पूछताछ नहीं की और न ही उनमें से किसी को गवाह के रूप में उद्धृत किया जिससे यह संकेत मिले कि इस संबंध में आरोपी द्वारा झूठी कहानी पेश की गई थी।

(ii) जब जांच अधिकारी को अपराध के कमीशन में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में संदेह हो गया था, तो उसने अभियुक्त के घर का निरीक्षण करने में प्राथमिक सावधानी नहीं बरती, जहां अपराध करने का आरोप लगाया गया था ताकि किसी भी अपराध को इकट्ठा किया जा सके। परिस्थिति और लेख. ऐसा तब भी नहीं किया गया, जब उनकी जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपी ने उसकी बेटी को आंगन की जमीन पर लिटाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। तस्वीरें पूर्व. P.1 से P.3 और नकारात्मक उदाहरण। फोटोग्राफर नरेश (पीडब्लू-11) द्वारा प्रमाणित पी.4 से पी.6 तक पता चला कि उस समय भी योनि के हिस्सों से खून बह रहा था। यहां तक कि मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने भी बाहरी जननांग पर खून का थक्का पाया था। आमतौर पर कहा जाता है कि हर अपराध अपने पीछे अपराध के कुछ निशान या सुराग छोड़ जाता है, चाहे अपराधी छिपने की कितनी भी कोशिश कर ले। जांच अधिकारी आरोपी के घर नहीं गए थे, जो स्पष्ट करता है जिस स्थान पर बलात्कार किया गया था उस स्थान का साइट प्लान जांच अधिकारी द्वारा क्यों तैयार नहीं किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा साइट प्लान तैयार करना जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अपराध के दृश्य को दर्शाने वाला उसका स्पॉट निरीक्षण अदालत को गवाहों के बयानों की सराहना करने में मदद करता है।

(iii) जांच रिपोर्ट में मृतिका की चुन्नी एवं सलवार की बरामदगी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। जांच रिपोर्ट में तैयार किए गए साइट प्लान में वह स्थान नहीं दर्शाया गया है, जहां से मृतिका की चुन्नी और सलवार बरामद की गई थी।

(iv) यह साइट योजना पूर्व से स्पष्ट है। पीयू ने जांच अधिकारी द्वारा तैयार किया कि उन्होंने चुन्नी और सलवार की बरामदगी का स्थान बिंदु 'सी' के रूप में करतार सिंह के घर के गैर के एक हिस्से में पड़ने को बताया था। करतार सिंह का घर चार दीवारों से घिरा हुआ है। शिखर कुमार द्वारा तैयार किये गये साइट प्लान से। ड्राफ्ट्समैन (पूर्व पीसी), यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी नारायण का खुला भूखंड पूर्वी तरफ और दलबीर सिंह का पश्चिमी तरफ स्थित है। उत्तरी तरफ करतार सिंह का मकान बताया गया था। जांच अधिकारी ने अपराध में किसी भी तरह से उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए करतार सिंह या उसके किसी भी रिश्तेदार से पूछताछ करने और उनके घर से चुन्नी और सलवार की बरामदगी के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगने की परवाह नहीं की। यहां तक कि लक्ष्मी नारायण और दलबीर सिंह का भी उन्होंने हवाला नहीं दिया।

(v) 21 अप्रैल, 2001 को अपने बयान में सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह का यह कहना था कि वह आरोपी को डीएनए विश्लेषण के लिए रक्त का नमूना लेने के लिए अस्पताल ले गए थे और एक आवेदन दायर किया था। इस संबंध में पी.ओ. उनके आवेदन पर डॉ. विमल शर्मा ने आरोपी का खून का नमूना लिया था और पूर्व अनुमोदन भी किया था। पीआर. डॉ. विमल शर्मा ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि डीएनए रिपोर्ट उनके सामने पेश नहीं की गई थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है रिकॉर्ड करें कि डीएनए की रिपोर्ट अदालत से क्यों रोकी गई थी।

(47) ये परिस्थितियाँ अपीलकर्ता-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा उठाए गए रुख का समर्थन करती हैं कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों पर कोई भी भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा।

(48) अंतिम निवेदन पर आते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त ने पूर्ण इनकार का रुख अपनाया था, लेकिन तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य उसके द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए पहले संस्करण को खारिज करने में सक्षम नहीं है। पीएफ ने जांच अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। अन्यथा भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त को अपराध से जोड़ने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

(49) इस स्तर पर **दातार सिंह बनाम पंजाब राज्य** [10](10) मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना उचित होगा। फैसले के पैरा 3 में यह कहा गया था-

"कानून की अदालतों के लिए आपराधिक मामलों में वास्तविक सच्चाई तक पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। न्यायिक प्रक्रिया केवल रिकॉर्ड पर वास्तविक और विश्वसनीय सबूतों की मजबूत नींव पर ही चल सकती है। केवल संदेह या संदिग्ध परिस्थितियाँ अभियोजन को उसके प्राथमिक कर्तव्य से मुक्ति नहीं दिला सकतीं किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना। न्याय की अदालतें पितृहत्या के अत्यंत निंदनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भावना या पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं हो सकती हैं। वे कुछ दोषसिद्धि पर भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि किसी आरोपी व्यक्ति ने अपराध किया है जब तक उसका अपराध रिकॉर्ड पर मौजूद संतोषजनक सबूतों से साबित होता है। यदि साक्ष्य के टुकड़े, जिन पर अभियोजन पक्ष अपना मामला टिकाता है, इतने नाजुक हैं कि बारीकी से और आलोचनात्मक जांच करने पर वे टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, जिससे ऐसी असुरक्षित नींव पर बनी पूरी संरचना ढह जाती है। , कुछ आपत्तिजनक परिस्थितियों का प्रमाण जिसने शायद केवल दोषपूर्ण साक्ष्यों को समर्थन दिया हो, अभियोजन मामले की विफलता को नहीं टाल सकता।"

(50**) पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य** [11](11) में, यह देखा गया कि हत्या अवधारणा में शैतानी और निष्पादन में क्रूर है, लेकिन वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि

[10] AIR 1974 SC 1193
[11] 1990 (1) All India Criminal Law Reporter 62

क्या परिस्थितियों की समग्रता ने यह स्थापित किया है कि सभी आरोपी या उनमें से कोई भी असली अपराधी है।

(51) सुभाष चंदर बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा) में, फैसले के पैरा 24 में निष्कर्ष में कहा गया था, "इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जिन सबूतों पर भरोसा किया गया उनमें से कोई भी सबूत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसे अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के निर्णायक टुकड़ों के रूप में माना जाता है। हालांकि अपराध वीभत्स है और मानवीय विवेक को विद्रोह करता है, लेकिन किसी अभियुक्त को केवल कानूनी साक्ष्य के आधार पर ही दोषी ठहराया जा सकता है और यदि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी जाली बनाई गई हो कि इसकी संभावना को खारिज किया जा सके। अभियुक्त के अपराध को छोड़कर कोई अन्य उचित परिकल्पना।"

(52) **शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य** [12](12) मामले में, शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि "जब क्रूर अपराधों का सामना करना पड़ता है, तो मानव स्वभाव मजबूत संदेह के आधार पर कहानियां गढ़ने को तैयार रहता है"। इस न्यायालय ने बार-बार माना है कि सच हो सकता है और सच होना चाहिए, इसके बीच यात्रा करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी होती है जिसे किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य द्वारा तय किया जाना चाहिए।

(53) इसे सुभाष चंद के मामले (सुप्रा) में फैसले के पैरा 26 में निम्नानुसार देखा गया था: -

"मामले से अलग होने से पहले हम मामले के एक पहलू को छूते हुए अदालतों के अवलोकन को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। इसमें अज्ञात अपराध किए गए हैं। संज्ञेय अपराध किए जाने का तथ्य तो ज्ञात है लेकिन आरोपी की पहचान नहीं है का खुलासा किया गया है और न ही इसका कोई संकेत उपलब्ध है गवाह जो उपयोगी प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। ऐसे अपराध

[12] AIR 1981 SC 765

एक जांच अधिकारी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हैं। काम की तकनीकों से भली-भांति परिचित एक सतर्क जांच अधिकारी, अपराधी तक पहुंचने वाले रास्ते का पता लगाते हुए सबूतों के धागे इकट्ठा करने की स्थिति में होता है। आपराधिक न्याय प्रशासन जो लक्ष्य हासिल करता है, वह केवल अपराधी को पकड़ने से हासिल नहीं होता। आरोप को अदालत में साबित करना होगा। अदालत में दिए गए जांच अधिकारी के साक्ष्य में चरण दर चरण यह बताने वाली लय होनी चाहिए कि कैसे जांच आगे बढ़ी जिससे अपराधी का पता लगाया गया और उसके खिलाफ सबूत एकत्र किए गए। किसी भी निर्दोष को उठाए जाने और अपराधी करार दिए जाने की संभावना को खत्म करने के लिए यह आवश्यक है और फिर अपराध की गंभीरता मानवीय सहानुभूति जगाती है और मन को संदिग्ध या संदेहास्पद परिस्थितियों से दूर ले जाती है और उन्हें संदेह से परे साक्ष्य मूल्य के रूप में मानती है।

(54) उपर्युक्त मामले में की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होती हैं।

(55) उपरोक्त कारणों से, अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने में सक्षम नहीं हुआ है। तदनुसार, मैं अपीलकर्ता-अभियुक्त रीवा सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 316-डीबी 2001 की अनुमति देता हूं और ट्रायल जज द्वारा उसके खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द कर देता हूं और उसे बरी करने का आदेश देता हूं। रीवा सिंह, अपीलकर्ता को किसी अन्य आपराधिक मामले में राज्य द्वारा आवश्यक नहीं होने पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। ट्रायल जज द्वारा बनाई गई 2001 की हत्या संदर्भ संख्या 3 को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा